13.07.18 वकील अपीलान्ट व APP उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया है। जबकि यह प्रकरण आयुध अधिनियम का है जो माइनर क्रिमनल एक्ट के तहत आता है। इसमें CPC के नियम लागू नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी में खारिज नहीं कर निस्तारण किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय 23.10.17 एवं 30.10.17 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधी. न्याया. को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपी. को सुनकर मैरिट पर स्वीकिंग आदेश पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.08.18 को उपस्थित हों।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर